यदि कर्मचारी एडवांस लेने की तारीख से, एक साल की अवधि में हिन्दी टाइपिंग परीक्षा और 1½ साल की अवधि में हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास नहीं करता है तो, एडवांस की राशि उसके वेतन से, इस अवधि के तुरन्त बाद बराबर-बराबर किस्तों में वसूल कर ली जाएगी।

परीक्षा पास करने की अवधि को किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जाएगा।

3. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त, यह एडवांस, पात्र कर्मचारियों को कार्यालय के अध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेवारी पर सरकारी कर्मचारियों को बिना ब्याज दिये जाने वाले अन्य एडवांसों की सामान्य शर्तों के अधीन, दिया जाएगा और इसका लेखा-जोखा भी वैसे ही रखा जाएगा।

इसी प्रकार की शर्तों पर संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारी भी इस एडवांस के पात्र होंगे।

इस एडवांस की राशि नीचे लिखे खाते में दिखाई जावे :—

"766—सरकारी कर्मचारियों को उधार आदि—अन्य अग्रिम—हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिये उधार"

सरकारी उपक्रमों आदि के कर्मचारियों के बारे में भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को चाहिए कि वे इन उपक्रमों आदि को सुझाव दें कि वे उपर्युक्त सुविधा अपने कर्मचारियों को भी दें।

4. यह आदेश वित्त मंत्रालय की 4 अप्रैल, 1977 की अ० स० टि० सं० 852 ई ii(ए) तथा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की 22-7-77 की अ० शा० टि० सं० डी 1174/बी/एसी/77 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किया गया है।

5. कृषि मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं और उन्हें निर्देश दें कि उपर्युक्त एडवांस दिये जाने के बारे में सभी आवश्यक कदम तुरन्त उठायें।

राजपत्रित अधिकारियों को वैयक्तिक वेतन

89. का० ज्ञा० सं० 12014/1/78-रा० भा० (डी), दिनांक 14-2-79

विषय :—हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को प्रोत्साहन—एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन की स्वीकृति

उपर्युक्त विषय पर मुझे इस विभाग के तारीख 2 सितम्बर, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12014/2/76—रा० भा० के पैरा—1 (1) की ओर सभी मंत्रालयों और विभागों का ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। संदर्भाधीन पैरे में यह कहा गया था कि राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर ही 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जा सकता है। इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि जून, 1978 या इसके बाद होने वाली प्राज्ञ परीक्षा में पास होने वाले राजपत्रित अधिकारियों को, अराजपत्रित कर्मचारियों की भाँति ही केवल पास अंक प्राप्त करने पर भी 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा। वैयक्तिक वेतन के मंजूर किये जाने और अदायगी के बारे में निर्धारित अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अराजपत्रित पद से राजपत्रित पद पर पदोन्नत होने पर तथा एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर पदोन्नत होने पर, स्वीकृत किया गया वैयक्तिक वेतन, संबंधित अधिकारी को, बाकी बचे समय के लिए उसी दर से मिलता रहे जो उसे उच्च पद पर पदोन्नत न होने की स्थिति में मिलता।

2. ऊपर लिये गये निर्णय के आधार पर, यह भी निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा द्वारा नई दिल्ली में चलाए जाने वाले पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के बाद परीक्षा (जून, 1978 या उसके बाद) पास करने वाले राजपत्रित कर्मचारियों को भी उसी आधार पर एक वेतन-वृद्धि, के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन 12 महीने की अवधि के लिए उन्हीं शर्तों और नियमों के अनुसार मिलेगा, जिन के अनुसार वह हिन्दी प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर देय होगा।

3. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

ये आदेश वित्त मंत्रालय के तारीख 23-1-79 की अनौपचारिक टिप्पणी संख्या 261-डब्ल्यू आर/वित्त-1/79 के अधीन प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

If the employee does not pass the Hindi typewriting Examination within one year and the Hindi Stenography Examination within 1-1/2 years from the date of drawing the advance, the amount of advance shall be recovered from his pay in four equal instalments immediately after the expiry of this period.

The period for passing the Examination shall in no case be extended.

3. Besides the above terms and conditions, the advance shall be granted to the eligible employees on the personal responsibility of the Head of Office, under the general terms and conditions, applicable to other interest-free advances granted to Government employees and its account will also be maintained in the same manner.

The employees of the Union Territories will also be eligible for this advance on similar terms and conditions.

The amount of advance may be debited to '766—Loans to Government servants etc.—Other Advances—Loans for training in Hindi Typewriting/Stenography'.

In the case of employees of the Government Undetaking etc., the concerned Administrative Ministries and Departments of the Government of India may suggest to these undertakings etc. to extend the above facilities to their employees.

4. This order issues with the concurrence of the Ministry of Finance vide their U.O. No. 852 E. II (A) dated 4th April, 1977, and Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) U.O. No. D. 1174/B/AC/77 dated 22-7-1977.

5. The Ministry of Agriculture etc. are requested to bring this office Memorandum to the notice of all concerned and to direct them that all necessary steps regarding the grant of above advance may be taken urgently.

Personal Pay to Gazetted Officers

89. O.M. No. 12014/1/78–OL (D), dated 14-2-79

SUBJECT :—*Incentive to Gazetted Officer of the Central Government under the Hindi Teaching Scheme—Grant of Personal Pay equal in amount to one increment.*

The undersigned is directed to invite attention of all Ministries/Departments to para 1 (1) of this Deptt.'s Office Memorandum No. 12014/2/76-O. L. dated 2nd September, 1976 on the above subject, wherein it has been provided that personal pay equal in amount to one increment for a period of 12 months may be granted to gazetted officers on their passing with 60% or more marks in the Pragya examination. After reconsideration of the matter it has since been decided that, as in case of non-Gazetted Officers, Gazetted Officers who have passe the Pragya Examination held in June, 1978 or thereafter would also be granted personal pay equal in amount to one increment for a period of 12 months, on merely obtaining the qualifying pass marks. There will, however, be no change in other terms and conditions and rules relating to grant and payment of personal pay. On promotion from a non-Gazetted to a Gazetted post and from one Gazetted post to another Gazetted post, the personal pay will continue to be given to the person concerned for the remaining period, at the same rate at which it would have been given to him had he not been promoted to the higher post.

2. Consequent to the above decision, it has also been decided that Gazetted Officers passing the Examination (June 1978 or thereafter) of the full-time intensive training course conducted by Central Hindi Institute, Agra will also be granted, on similar lines personal pay equal in amount to one increment for a period of 12 months on the same terms and conditions governing the passing of the Pragya Examination.

3. So far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

These orders issue with the concurrence of the Ministry of Finance vide their U.O. No. 261-WR Fin-1/79, dated 23-1-79.